

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTT. NEW DELHI

12/1, JAM NAGAR HOUSE, NEW DELHI-110011

No. FADM/LAC/ND/2013

Dated: 08/07/2013

CORRIGENDUM

This corrigendum is issued in continuation of public notice dated 21.11.2012. This public notice dated 21.11.2012 pertains to the acquisition of land notified vide Notification no. F.9(12)/95/L&B/LA/9743 dated 27.06.1996 and F.9(12)/95/L&B/LA/8388 dated 01.06.1995 at village Malik Pur Kohi @ Rangpuri. The total area acquired vide these notification was 1337 Bigha 04 Biswa and 306 Bigha 02 Biswa.

Now, it is clarified that the public notice issued dated 21.11.2012 will be applicable to only those persons/petitioners who are the parties in the petitions (S.L.P. No. 18514/2006 & 18617/2006 titled as GNCT of Delhi vs Geeta Batra & Ors. and Govt. of NCT Delhi vs Luthra & Company) and the all other concerned Writ Petitions disposed off by the Hon'ble High Court of Delhi, where the notifications have been quashed. It is also added that the stay granted by the Hon'ble High Court in CWP No. 7795/2012 & 7802/2012 is stayed qua the petitioner. Therefore, hearing U/s 5A of the Land Acquisition Act, 1894 will be granted to only those persons who are covered by the above said cases and not to all persons affected by these notifications.

The list of petitioners as per available record of this office is being uploaded on the website at dcnewdelhi.delhigovt.nic.in and are also displayed on the notice board of ADM/LAC (New Delhi). It is further to inform that any petitioner whose name has been left in the said list is hereby requested to approach the office of the undersigned on any working day within 10 days from the issue of publication of this notice, so that personal hearing can be accorded to him.

(RAJEEVA SHUKLA)
ADM/LAC (ND)
Ph. No. 011-23071144

DIP/0907/13-14

नेविदा देते
सुत करनी
सकती है
नी अधीक्षण
प्रो या मान्य
व्य घोषणा
अधिकार
कटीतियां
अनुसार देय
नराशि को
5 प्रतिशत
सप्ताह के
द्वारा गठित
यदि कोई
पर को वहन
नत धनराशि
देये जाते हैं
को रोकना
वशेष कार्य
शासनादेश
विधानों के
यों को पूर्ण
वर्धदण्ड का
ने निर्धारित
बिड खोले
तथा विभाग
कार्यालय के
परान्त उक्त
क्वालीफाई
विदा अगले
s.gov.in से
अभियन्त्रण
ग अभियन्ता,
सेवा विभाग,
-पिथीरागढ़।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: उपायुक्त
जिला नई दिल्ली
12/1, जाम नगर हाउस, नई दिल्ली-110011

नं. एफ.एडीएम/एलएसी/एनडी/2013

दिनांक: 08.07.2013

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र सार्वजनिक सूचना दिनांक 21.11.2012 की निरन्तरता में जारी किया जा रहा है। यह सार्वजनिक सूचना दिनांक 21.11.2012, गांव मलिकपुर कोही @ रंगपुरी में भूमि के अधिग्रहण, जो कि अधिसूचना सं. एफ. 9 (12)/95/एलएंडबी/एलए/9743 दिनांक 27.06.1996 एवं एफ. 9 (12)/95/एलएंडबी/एलए/8388 दिनांक 01.06.1995 के अनुसार अधिसूचित हुआ था, से संबंधित है। इस अधिसूचना के अनुसार अर्जित कुल क्षेत्रफल 1337 बीघा 04 बिस्वा एवं 306 बीघा 02 बिस्वा था।

अब, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 21.11.2012 के अनुसार जारी सार्वजनिक सूचना केवल उन व्यक्तियों/याचिकाकर्ताओं पर लागू होगी, जो याचिकाओं (एसएलपी नं. 18514/2006 एवं 18617/2006 शीर्षक रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम गीता बत्रा एवं अन्य तथा रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम लूथरा एंड कंपनी) तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई गई सभी अन्य संबंधित रिट याचिकाओं, जहां पर अधिसूचनाएं रद्द कर दी गई थीं, में पक्ष हैं। यह भी जोड़ा जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी नं. 7795/2012 एवं 7802/2012 में दिया गया स्थगन आदेश याचिकाकर्ता के लिए ही प्रभावी है। इसलिए, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के अधीन सुनवाई का अवसर केवल उन व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो उपरोक्त मुकदमों द्वारा शामिल किए गए हैं और न कि इस अधिसूचना द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों को।

इस कार्यालय के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ताओं की सूची वेबसाइट dcnewdelhi.delhigovt.nic.in पर अपलोड की जा रही है और एडीएम/एलएसी (नई दिल्ली) के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की गई है। यह आगे सूचित किया जाता है कि कोई याचिकाकर्ता, जिसका नाम कथित सूची में छोड़ दिया गया है, से एतद्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के अंदर किसी कार्यदिवस पर सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है ताकि उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जा सके।

(राजीव शुकला)

एडीएम/एलएसी (नई दिल्ली)

डीआईपी/0907/13-14

फोन नं.: 011-23071144

होन
स्था
इल
में।
नई
में।
का
बन्
सम
पर
का
ww
उपल
देखी
उपल
भारत
सूची
पर व
चपय
18.08
जी.
प्रस्तु
कार्य
होगी
इच्छ
उत्पा
सूची
है कि
में कि
मुख्य
कार्य
पर प्र
कार्य
उत्तर
है। अ
नी अ
5000
में नई
S. H
No
1 च
2 प
3 प
4 प
5 न
6 अ
7 नि
8 के
9 वि
10 क
11 च
12 ट
13 मि
14 फ
यह भी
करने